FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर　　　　　　मुकाम बेगूँ

श्यामलाल पिता घीसालाल भील　बनाम　　मांगीलाल पिता जयराम धाकड
निवासी सुवाणिया तह0 बेगूँ　　　　　　　निवासी मेघनिवास
किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट

मु0नं0 65/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो इ[illegible] हुक्म की तारी[illegible] में जारी हुए
22.6.21	पत्रावली आज पेश की गई, पत्रावली मे तहसीलदार, बेगूँ के पत्र क्रमांक/भू.अ./996 दिनांक 17.06.2021 के साथ रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत काटून्दा की प्राप्त हुई साथ मे पर्चामौका रिपोर्ट भी प्राप्त हुई प्राप्त पालना प्रतिवेदन का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, रिपोर्ट भू.अ.नि. वृत काटून्दा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि मौजा सुवाणिया की आराजी संख्या 291 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण के समक्ष की जाकर पालना की गई , प्रार्थी आवेदक द्वारा उनके खाते की शेष आराजीयात जिसके पत्थरगढी कराने के आदेश भी प्राप्त थे वह आराजी नं. 142, 143,269, किता'–3 रकबा 1.73 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी की आवश्यकता से खातेदार ने इन्कार किया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर 291 रकबा 0.68 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी की जाकर शेष आराजी संख्या 142, 143,269, किता'–3 रकबा 1.73 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी खातेदार नहीं कराना चाहने से न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना कर दी गई है। अतः पत्रावली में पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर [illegible] से कम की जावें। Signature Not Verified Digitally signed by Kailash Chand Gurjar Date: 2023.08.22 16:43:33 IST Reason: SelfAttested 22/6/21 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ	